न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

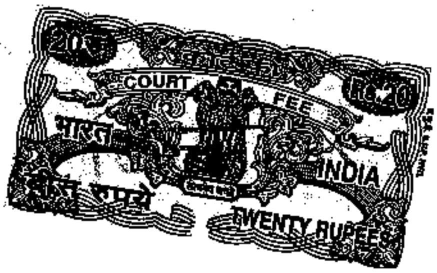

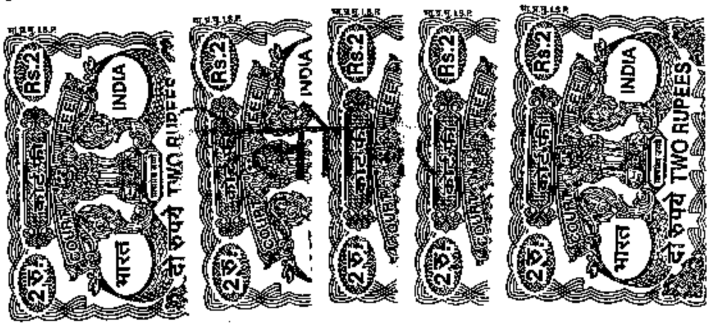

1– मुन्नी देवी पति अब्दुल रहीम, उम्र लगभग 45 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम बहुती, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

2– अब्दुल रहीम पिता रमजान वक्श मुसलमान, उम्र लगभग 50 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम बहुती, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) ———आवेदकगण

बनाम

म0प्र0 शासन ———अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नवत् है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविधि 9076–दो/2016 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-5-16	आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अन्तरण आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 2/अ–68/2016 में कारण बताओ सूचना पत्र धारा 248 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। 2–आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित। उनके तर्क श्रवण किये । प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अन्तरण आवेदन में तहसीलदार हनुमना के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में प्रकरण का अन्तरण चाहा गया है । आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि सर्वे कमांक 627/3 रकवा 0.35 एकड़ स्थित ग्राम बहुती तहसील हनुमना जिला रीवा में स्थित होकर पूर्व भूमिस्वामी द्वारा आवेदिका कमांक–1	

द्वारा क्रय की गई थी। जिस पर आवासीय मकान बनाकर निवासरत है। तहसीलदार हनुमना के आवेदिका एवं उसके पति से व्यक्तिगत रूप बदले की भावना से नाराज होकर बदला लने पर आमदा है । आवेदिका को तहसीलदार हनुमना से न्याय की आशा नहीं है । उपरोक्त प्रकरण न्यायालय तहसीलदार त्यौंथर जिला रीवा की ओर अंतरित करने का निवेदन किया है ।

3-अतः आवेदकगण के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया । पूर्व बेदखली आदेश के पालन में मौके पर विवादित स्थिति उत्पन्न हो जाने के बाद आराजी न0 627/3 के पूरे रकवे से बेदखल करने हेतु नोटिस आवेदकगण को प्राप्त हुई है तथा मौके पर भी तहसीलदार द्वारा पूरे मकान को गिराकर बेदखल कर देने की लगातार धमकी दी जा रही है ।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार तहसील त्यौंथर जिला रीवा की ओर अंतरित किया जाता है। प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य